अपील के सम्बन्ध में अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों का विस्तार से जिक्र किया था निवेदन किया है कि फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत माल का खेड़ा द्वारा पारित निर्णय नामान्तरकरण संख्या 654 दिनांक 20.03.2022 को निरस्त फरमाया जावे एवं उक्त भूमि पुनः अपीलाण्ट के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान कराना फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया।

पत्रावली में अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार बिजौलियां की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम भटखेड़ी प0ह0 माल का खेड़ा की खाता सं0 98 की आराजी नम्बर 235/164 रकबा .8094 हैक्टेयर भूमि को रेस्पोडेण्ट संख्या 1 हरनाथ पिता सुरजा मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा (धनवाड़ा) के नाम पर फर्जी विक्रयपत्र दिनांक 20.12.2022 को निष्पादित होने व उक्त आराजीयात का ग्राम पंचायत माल का खेड़ा द्वारा पारित निर्णय नामान्तरकरण संख्या 654 दिनांक 20.03.2022 उचित नहीं होने से अधिवक्ता अपीलाण्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

अतः अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत माल का खेड़ा द्वारा ग्राम भटखेड़ी प0ह0 माल का खेड़ा की आराजी नम्बर 235/164 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि में पारित निर्णय नामान्तरण संख्या 654 दिनांक 20.03.2022 को निरस्त किया जाता हैं।

अतः ग्राम भटखेड़ी प0ह0 माल का खेड़ा की वर्तमान जमाबन्दी में अंकित आराजी नम्बर जी नम्बर 235/164 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि से रेस्पोडेण्ट संख्या 1 हरनाथ पिता सुरजा मीणा सी लक्ष्मीपुरा (धनवाड़ा) का नाम राजस्व रेकॉर्ड से हटाया जाकर उक्त भूमि पुनः अपीलान्ट बरजी पत्नि भील 5/8 निवासी भटखेड़ी तहसील माण्डलगढ़ (वर्तमान तहसील बिजौलियां) एवं पानी देवी पुत्री भूरा 1/8 निवासी भटखेड़ी हाल मुकाम साईपीपला तहसील माण्डलगढ़ (वर्तमान तहसील बिजौलियां) के नाम किये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

आदेश आज दिनांक 22/07/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी • बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा •

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी • बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा •

बी आई.पी.सी. मे प्रकरण दर्ज होकर थाना काछोला द्वारा नतीजा पेश किया जाना है। अपीलान्ट को नामान्तकरण संख्या 654 की जानकारी दिनांक 10.01.2022 से अन्दर अवधि अपील पेश की है तथा अपील प्रस्तुती मे हुयी देरी को कण्डोन करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जावे एवं ग्राम पंचायत माल का खेड़ा द्वारा पारित निर्णय नामान्तरकरण संख्या 654 दिनांक 20.03.2022 को निरस्त फरमाया जावे एवं उक्त भूमि पुन अपीलाण्ट के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावा फरमावें।

साथ ही अधिवक्ता अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया जिसे शामील पत्रावली किया गया।

अपील दर्ज रजिस्टर करवायी जाकर रेस्पोडेन्टस की तलबी जरिये नोटिस मय नकल अपील मेमो भेज करवाई गयी।

दिनांक 06.02.2025 को बेरोज पेशी रेस्पोडेण्ट के न्यायालय मे हाजिर नहीं होने से रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

उक्त प्रकरण में अधिवक्ता अपीलाण्ट को मियाद के बिन्दु पर सुना गया। पत्रावली को मियाद में लेने के आदेश दिये गये।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मेमो के साथ सूची मय दस्तावेज प्रस्तुत किये। जो निम्नानुसार हैं।

1. प्रतिलिपि नामान्तकरण संख्या 654 दिनांक 20.03.2022 ग्राम भट खेडी की प्रमाणित प्रति।
2. जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 मौजा ग्राम भटखेडी।
3. चार्जशीट
4. एफ.आई.आर – 76
5. विक्रय पत्र की नकल।
6. Fin No 71
7. आधार कार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

प्रकरण में तहसीलदार बिजौलियां से रिपोर्ट ली गयी।

तहसीलदार बिजौलियां ने पत्रांक/भू0अ0/2025/574 दिनांक 26.05.2025 से प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित किया कि ग्राम भटखेड़ी में मौके पर उपस्थित मौतविरान व अपीलकर्ता द्वारा बताया गया कि खसरा नं0 235/164 रकबा 0.8094 है0 भूमि बरजी पत्नी भूरा 5/8 पानी पुत्री भूरा 1/3 निवासी भटटखेड़ी के नाम वर्ष (लगभग) 2002 में आवंटित हुई। जो कि आवंटन से ही अपीलाण्ट के कब्जे में होकर काश्त चली आ रही है। अपीलाण्ट व उपस्थित लोगों के अनुसार वर्ष 2022 में रेस्पोडेन्ट सं0 1 हरनाथ पिता सूरजा मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा द्वारा उक्त भूमि का अपीलाण्ट के स्थान पर अन्य दूसरी महिलाओं तथाकथित नाम (बरजी पत्नि शंकर भील निवासी साईपीपला व पानी पत्नी छोगा भील निवासी किशना का झोपडा) को पंजीयन सेक्शन में पेश कर फजी तरीके से विक्रय पत्र दिनांक 20.01.2022 को सम्पादित करवाया गया व विक्रय पत्र आधार पर नामा0 सं0 654 दिनांक 20.03.2022 को ग्राम पंचायत स्तर से स्वीकृत करवाकर भूमि राजस्व रेकार्ड में अपने नाम पर करवा ली गई।

इस प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा पुलिस थाना काछोला में एफ.आई.आर. नं. 76/2022 से शिकायत दर्ज भी करवा रखी हैं। अपीलान्ट के अनुसार खातेदारी भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि नहीं हैं। उक्त भूमि पर काश्त कर अपीलान्ट, स्वयं व परिवार का भरण पोषण करती हैं। अपीलान्ट फर्जी विक्रय पत्र व आधार पर दर्ज नामा0 को खारीज करवाकर उक्त भूमि को पुनः राजस्व रेकार्ड में अपने नाम पर दर्ज करवाना चाहती हैं।

लगातार पेज संख्या 03 पर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– अजीत सिंह राठौड़ (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

नामा0 प्र0सं0 01/2024 दायर तारीख 26.06.2024

अनवान्

बरजी पत्नि भूरा जाति भील उम्र बालिग निवासी भटखेडी तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)।

पानी देवी पुत्री भूरा जाति भील उम्र बालिग निवासी भटखेडी हाल मुकाम साईपीपला तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... अपीलान्ट

बनाम

1. हरनाथ पिता सुरजा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा (धनवाड़ा) तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. सरपंच ग्राम पंचायत माल का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

.... रेस्पोडेन्टगण

उपस्थितः– 1. श्री ओमप्रकाश शर्मा एवं श्री हर्षवर्धन शर्मा – अधिवक्ता अपीलान्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 654 दिनांक 20.03.2022 ग्राम पंचायत माल का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़

–: आदेश :– दिनांक 22/07/2025

पत्रावली राज्य सरकार के आदेश से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ से स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुयी हैं। जिसको दर्ज रजिस्टर किया गया।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं। अपीलान्ट ने एक अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्टस इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भटखेड़ी प0ह0 माल का खेड़ा की खाता 98 की आराजी नम्बर 235/164 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि का खाता अपीलाण्ट के नाम पर दर्ज रेकॉर्ड हैं उक्त भूमि अपीलाण्ट के कब्जे काश्त में बरसों से चली आ रही हैं। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 हरनाथ ने उक्त भूमि का फर्जी विक्रय पत्र तैयार करा फर्जी पंजीयन करवाया है रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से मिलकर फर्जी नामान्तकरण संख्या 654 दिनांक 20.03.2022 को स्वीकृत कराया गया हैं। अपीलाण्ट रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने नाजायज आपराधिक षडयन्त्र रचकर फर्जी तरिके से अपीलान्ट के सम्पूर्ण हक हिस्से 3/4 की रजिस्ट्री तथाकथित महिला पानी देवी पत्नि छोगा भील बरजी पत्नि भूरा भील तथा कथित महिला न जाने कोनसी महिला ने अपने आपको बरजी व पानी बताकर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 हरनाथ पिता सुरजा मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा (धनवाड़ा) के नाम पर फर्जी विक्रयपत्र दिनांक 20.12.2022 को निष्पादित करवा दिया तथा फर्जी गवाह, फर्जी महिला लाकर मुझ अपीलान्ट की उक्त भूमि को हड़पने की बदनियती से फर्जी विक्रय पत्र फर्जी महिलाओ को पानी व बरजी बताकर उक्त भूमि तथाकथित विक्रय पत्र निष्पादित करवा दिया एवं विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने नाजायज साठ गाठ कर विक्रयपत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 654 स्वीकृत करवा लिया जो अपीलान्ट के मुकाबले में शून्य प्रभावी है उक्त विवादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा अधिकार चला रहा हैं। अपीलान्ट ने पुलिस थाना काछोला में एफ.आई.आर. नम्बर 76/2022 थाना काछोला में दिनांक 24.06.2022 दर्ज करायी है जो प्रकरण जेर ततफीस होकर अपराध धारा 420–467–468–120

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा

बरदी बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा धारा अपील (75) प्रकरण संख्या 01/24

GCMS नम्बर: 2024/325

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील व जारी हुए
17/6/25	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते बहस आगामी दिनांक 18/6/25 को पेश हो	
18/6/25	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते बहस /A. आगामी दिनांक 25/6/25 को पेश हो उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	
25/6/25	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते बहस/निर्णय आगामी दिनांक 22/7/25 को पेश हो उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	
22/7/25	पत्रावली पेश हुई अपील स्वीकार की गई पत्रावली को स्वीकार किया गया। पत्रावली में निर्णय पृष्ठ 3 से लिखवाया गया, एवं खुले न्यायालय में सुनाए गए। पत्रावली नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

3

APP-A
Crim-I

Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम माण्डलगढ़

बरजी पत्नी धूरा भील बनाम हरनाथ पिता हरजा

किस्म मुकदमा अपील नामान्तकरण नं. 01/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.03.23	अपील सीधे से वाद ... पेश हुआ। वकील अपीलान्ट उपस्थित। अपील दर्ज रजिस्टर किया ... कर रेस्पोन्डेन्ट की तलबी जरिये सम्मन मय नकल अपील भेजी जावें। पत्रावली वास्ते तलबी / जवाब दिनांक 17.04.23 को पेश हो। Mahesh उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़	
17/4/23	पत्रावली प्रस्तुत हुइ, आभे वादी प्रतिवादी उपस्थिति Adv. श्री मथुरालाल मीणा पीठासीन अधिकारी R.O बैठक में पधारे है। ने विपक्षी क्रं. 1 की ओर से पत्रावली वास्ते जवाब आयन्दा दिनांक 4/7/23 अधिकार पेश किया। को पेश हो।	
1/7/23	पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान कैम्प ग्राम ... में पेश हुई। पक्षकार वादी / प्रतिवादी हाजिर। प्रशासन गाँवों के संग अभियान में पक्षकारानों के बीच आपसी सहमति नही होने से पत्रावली आगामी दिनांक 20/9/23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी / रीडर माण्डलगढ़	
...9/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित विपक्षी संख्या 1 की ओर से पूर्व मे श्री मथुरा लाल मीणा ने अधिकार पत्र पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 8/1/24 को पेश हो।	